

21.02.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल वादी पत्र अदम हाजरी मे खारिज हो चुका हो। मूल वाद पत्र अदम हाजरी खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.05.2024 को वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

01/25
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

